उदय कुमार पंडारीनाथ जाधव / मुन्ना

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

आपराधिक अपील सं. 255/2006

निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2008

(एस.बी. सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधीशगण)

द.सं. 1860 - धारा 304 ; (भाग प्रथम) -हत्या - दो चक्षुदर्शी साक्षी - चक्षुदर्शी साक्षियों में से एक साक्षी ने कहा कि मृतक ने अभियुक्त पर पहले हमला किया - अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का बचाव लिया - अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. के अधीन दोषसिद्ध किया, निर्णित : अभियुक्त को प्राईवेट प्रतिरक्षा का बचाव उपलबध था - यद्यपि उसने प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया - इसलिए दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग प्रथम) में बदल दिया गया।

एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. के तहत अभियोजित किया गया। घटना दो चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा देखी गई। चक्षुदर्शी साक्षियों में से एक साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि मृत्तक ने अभियुक्त पर चाकू से पहले हमला किया था। अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा ली कि उसने अपनी प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्तक को क्षतियां कारित की थी। विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। इसलिए यह अपील

आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 अभियुक्त के विरूद्ध चश्मदीद साक्षियो, जिनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता, की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामला साबित होता है और

इसके अलावा इस तथ्य को कि अभियुक्त ने क्षतियां कारित की, स्वीकार किया गया है, यद्यपि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का बचाव लिया है। (पैरा 02) (191.एफ.जी.)

1.2 अपीलार्थी को निजी प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध है। उसने इसे विनिर्दिष्ट रूप से नहीं उठाया है। अ.सा. 04 एक चश्मदीद साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मृतक ने चाकू से अभियुक्त पर हमला किया था।लोक अभियोजक ने किसी प्रकार भी तरीके से इसके सही होने को चुनौती नहीं दी। इसलिए अभियोजन ने स्वयं इस कथन का सही होना स्वीकार किया है। यह सुस्थापित है कि निजी प्रतिरक्षा का मामला बनाने के लिए अभियुक्त को विशिष्ट रूप से इसका अभिवचन लेने की आवश्यकता नहीं है परंतु यदि परिस्थितियां ऐसे अधिकार के संबंध में अनुमान को सही ठहराती है तो न्यायालय को उन संभावनाओं की जांच करनी चाहिए। (पैरा 04) (192 डी. ई.)

1.3 साक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मृतक न केवल कराटे विशेषज्ञ था बल्कि चाकू से भी लैस था और अपीलार्थी को अपने हाथ में चोट आने की आशंका थी। अभियोजन के लिए सबसे अधिक अच्छा यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया था। इसलिए अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और यह देखते हुए कि छाती पर पहुंचाई गई घातक क्षति शरीर के काफी अंदर गहराई तक घुसी थी उसकी दोषसिद्धि धारा 304 (i) भा.द.सं. में रूपांतरित की गई।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 255/2006

बोम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ की आपराधिक अपील संख्या 130/1999 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.08.2005 के विरूद्ध

ए. कनाडे और अरिबम गुनसेश्वर बर्मा अपीलार्थी की ओर से

चिन्मॉय खलादकर एवं रविन्द्र केशवराव -प्रत्यर्क्षी की ओर से

न्यायालय का निर्णय हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

1. विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील निम्न तथ्यों से उद्भुत हुई।

2. दिनांक 22.10.1997 को लगभग 05 या 5.30 पी.एम. पर प्रथम सूचना दाता अ.सा. 01 राजेश संतोष सुपेकर, शिवराज व मृत्तक संतोष सुपेकर के घर के बहर खड़े थे और बातें कर रहे थे। जब वे इसमें शामिल थे, अपीलार्थी उदय कुमार, जो राजेश का परिचित था, एक अन्य अनजान व्यक्ति के साथ वहां आया और राजेश को पकड़कर यह कहते हुए कि उसे राम हलाले द्वारा बुलाया गया है, एकतरफ ले गया। दूर जाते समय राजेश पीछे मुडा तो उस समय उसने देखा कि अपीलार्थी शिवराज को चाकू मार रहा था, यद्यपि पीडित ने पहले प्रहार से अपना बचाव कर लिया, किंतु अन्य प्रहार सीधे लगे। इसके बाद राजेश बाबर साहब नामक व्यक्ति घर की ओर भागा और घटना की सूचना बाबर साहब को दी और बाबर साहब द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देरे में पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई। इसी बीच, राजेश घटनास्थल पर वापस आया और देखा कि शिवराज मृत पड़ा था। ए.एस.आई. जुकटे ने राजेश के बयान प्रदर्श पी19 के लिए और उसके आधार पर पुलिस स्टेशन एक औपचारिक प्र.सू.रि. दर्ज की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ए.एस.आई. ने मृत्तक की बहन अ.सा. 02 सुनीता और अ.सा. 04 संतोष के भी बयान लिए। उसने अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ पर एक चाकू भी विधिवत बरामद किया गया। विचारण के दौरान एक चाकू भी विधिवत बरामद किया गया। विचारण के दौरान अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा ली कि चोटें उसके निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कारित हुई थी, क्योंकि मृत्तक जो कि कराटे विशेषज्ञ था, ने उस पर पहले वार किया और उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाई थी। उसने यह भी कहा कि वह मृत्तक को निरस्त्र करने में सक्षम था

और उसके बाद उसने कुछ चोटें उसे पहुंचाई थी। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कमाडे ने सबसे पहले एवं मुख्यतः यह तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी झूठी थी और अपीलार्थी को कुछ अज्ञात कारणवश फंसाया गया था। हमने संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया और हमारी राय है कि इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध मामला चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य से साबित है, जिनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है और इसके साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त ने चोटें पहुंचाई थी यद्यपि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवाक् लिया है। इसके बाद श्री कनाडे इस वैकल्पिक तर्क पर आए कि उसने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में चोटें कारित की थी और इस कारण हत्या का कोई मामला नहीं माना जा सकता।

3. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में श्री कनाडे का तर्क चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा. 04 संतोष की प्रतिरक्षा से निकलता है, जिसने निम्नानुसार परिसाक्ष्य दी है -

यह सही है कि मृत्तक कराटे का शिक्षक था। यह सही है कि मृत्तक द्वारा चाकू निकाला गया था और अभियुक्त व मृत्तक के बीच हाथापाई हुई थी। यह सही है कि मृत्तक को उसके गरेबान से पकड़ा गया था। यह सही है कि हाथापाई के दोरान मृत्तक के हाथ से चाकू नीचे गिर गया था और उसी चाकू को अभियुक्त ने उठाया और मृत्तक को उसी चाकू से मारा गया था। यह सही है कि पहला वार जांघ पर, दूसरा वार हाथ पर और तीसरा छाती पर किया गया था।

4. यह महत्वपूर्ण है कि संतोष द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये इन कथनों के बावजूद, लोक अभियोजक ने इसकी सत्यता को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने स्वयं इन कथनों का सही होना स्वीकार किया है। यह सुस्थापित है कि निजी प्रतिरक्षा को मामला बनाने के लिए

अभियुक्त को विशिष्ट रूप से बचाव लेने की आवश्यकता नहीं है (क्योंकि वास्तव में, एक बहुत ही साहसी अभियुक्त होगा जो यह बोलेगा और अपनी उपस्थिति को स्वीकार करने का जोखिम उठायेगा) परंतु यदि परिस्थितियां ऐसे अधिकार के संबंध में किसी निष्कर्ष को सही ठहराती है, तो न्यायालय को उन संभावनाओं की भी जांच करनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, उनकी यह राय है कि अपीलार्थी को निजी प्रतिरक्षा बचाव उपलब्ध है, हालांकि उसके द्वारा इसे विनिर्दिष्ट रूप से नहीं उठाया गया है। तथापि विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने ध्यान दिलाया है कि मृत्तक के शरीर पर तीन चोटें आई थी और अपीलार्थी को निजी प्रतिरक्षा के बचाव के आधार पर पूर्ण दोषमुक्ति उपलब्ध नहीं थी। साक्ष्य से हम देखते है कि मृत्तक न केवल कराटे विशेषज्ञ था, बल्कि चाकू से भी लैस था और यह असाधारण नहीं था कि अपीलार्थी को उसके हाथों में चोट आने की आशंका थी, इसलिए उनकी यह राय है कि इस स्तर पर अभियोजन के लिए जो सबसे अच्छा कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया था। इसलिए हम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते है, अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त करते है और यह देखते हुए कि छाती पर लगी घातक चोट शरीर में काफी गहराई तक घुस गई थी, उसकी दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा 304 (भाग i) में संशोधित करते है। हम अपीलार्थी पर सात वर्ष के कठोर कारावास का दंड अधिरोपित करते है: सजा का अन्य भाग यथावत रहेगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनूप कुमार (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।